

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

का0आ0सं0-4/अ0प्र0-1-15/2017

234

/पटना, दिनांक-04/9/23

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-3684 दिनांक-01.08.2023 द्वारा योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यालयों में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यरत विभागीय अवर अभियंता सेवा संवर्ग के (1) श्री सैयद अर्शद हुसैन, कनीय अभियंता (2) श्री कृष्णा प्रसाद, कनीय अभियंता (3) श्री जनार्दन प्रसाद रजक, कनीय अभियंता एवं (4) श्री व्यासमुनी राम, कनीय अभियंता की सेवा को उनके निकट सेवानिवृत्ति को दृष्टिपथ में रखते हुए सेवान्त लाभों आदि के भुगतान में सुगमता हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (पैतृक विभाग) को वापस की गयी है।

तदालोक में वर्णित कनीय अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-05 में अंकित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालयों में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० स०	कनीय अभियंता का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थान	नवपदस्थापित कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सैयद अर्शद हुसैन	मुजफ्फरपुर	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर, मधुबनी	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, दरभंगा	
2	श्री कृष्णा प्रसाद	अरवल	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, हिलसा, नालंदा	कार्य प्रमंडल, दानापुर, कार्य प्रशाखा, फुलवारी-1	
3	श्री जनार्दन प्रसाद रजक	अररिया	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, पूर्णिया	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णिया	
4	श्री व्यासमुनी राम	बलिया, उ०प्र०	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बेनीपुर, दरभंगा	कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ, कार्य प्रशाखा, रामगढ़-1	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन अपने अधीनस्थ कनीय अभियंताओं को एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु विरमित कर देंगे तथा विरमन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से इन कनीय अभियंताओं से संबंधित पूर्व में निर्गत एतद् संबंधी आदेश स्वतः विलोपित/रद्द समझे जायेंगे।

5. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि उनके अधीन पदस्थापित किये गये कनीय अभियंताओं का अद्यतन सेवापुस्त को पूर्व पदस्थापन स्थान से प्राप्त कर लें।

6. यदि इस आदेश में कोई भी अशुद्धियाँ, त्रुटियाँ या किसी संशोधन की आवश्यकता हो, तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता सीधे अधोहस्ताक्षरी को संबोधित कर साक्ष्य सहित आवेदन समर्पित करेंगे।

7. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(M88/31/8/23

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-15/2017 4983 /पटना, दिनांक-04/9/23

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-1, 2, 3 एवं 4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना अंचल, पटना/कार्य अंचल, पटना/कार्य अंचल, सासाराम/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, दरभंगा/क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णिया/कार्य प्रमंडल, दानापुर/कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ तथा अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(M88/31/8/23

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-15/2017 4983 /पटना, दिनांक-04/9/23

प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, निगरानी प्रशाखा-2 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(M88/31/8/23

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-15/2017 4983 /पटना, दिनांक-04/9/23

प्रतिलिपि:-उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके आदेश सं0-3684 दिनांक-01.08.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(M88/31/8/23

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-15/2017 4983 /पटना, दिनांक-04/9/23

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, हिलसा, नालन्दा/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02 बेनीपुर, दरभंगा/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, झंझारपुर, मधुबनी/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(M88/31/8/23

अभियंता प्रमुख।

P.T.O

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-15/2017 4983 /पटना, दिनांक-04/9/23
प्रतिलिपि:-संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(MBA/31/8/23)

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-15/2017 4983 /पटना, दिनांक-04/9/23

प्रतिलिपि:-सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी एवं सम्बन्धित भविष्य निधि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(MBA/31/8/23)

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-15/2017 4983 /पटना, दिनांक-04/9/23

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर विरमित होकर नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देकर योगदान प्रतिवदेन से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(MBA/31/8/23)

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-15/2017 4983 /पटना, दिनांक-04/9/23

प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(MBA/31/8/23)

अभियंता प्रमुख।